न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 104 / 2022	2022 / 183	14.07.2022	20.05.2025

1. सरकार जरिये बीज / कीटनाशी / उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ़, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री गेंदालाल सैनी, निवासी नवीन बस स्टैण्ड राजगढ़, जिला अलवर, प्रोपराइटर मैसर्स न्यू पवन बीज भण्डार, मालाखेडा जिला अलवर।
2. मैसर्स न्यू पवन बीज भण्डार, मालाखेडा जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित बीज नियंत्रण आदेश 1983

उपस्थितः—

01. कृषि अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि

02. पिन्टू जैन — वकील अप्रार्थी

—::निर्णय::—

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1983 के तहत कुल 314 बैग जब्त उर्वरक को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 (A) प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी ने यह 6ए प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 10.06.2022 को मैसर्स न्यू पवन बीज भण्डार, मालाखेड़ा जिला अलवर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय फर्म पर फर्म के प्रोपराइटर श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री गेंदालाल सैनी, निवासी नवीन बस स्टैण्ड, राजगढ़, जिला अलवर, श्री विश्राम मीणा, कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), राजगढ़ जिला अलवर एवं श्री इन्दरलाल मीणा पुत्र श्री लटूर मीणा निवासी कुण्डरोली तहसील राजगढ़ जिला अलवर मौजूद रहे। फर्म मैसर्स न्यू पवन बीज भण्डार, मालाखेड़ा के पास बीज विक्रय करने का वैद्य अनुज्ञापत्र संख्या एसएस/ 2021—22 / 14988 उपलब्ध था जो दिनांक 26.10.2026 तक वैद्य है।

फर्म पर उपलब्ध संकर बाजरा बीज की निम्नलिखित दो किस्मों का नमूना परीक्षण हेतु बीज नियंत्रण आदेश 1983 में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आहरित किया गया।

क्र.सं.	बीज का नाम	किस्म	लॉट नम्बर	उत्पादनकर्ता का नाम
1	संकर बाजरा बीज	TMBH 633	25161954	त्रिमूर्ती प्लांट साइंसेज प्रा.लि., हैदराबाद
2	संकर बाजरा बीज	ECO-10	5217020	इको. एग्रीसीड्स प्रा. हैदराबाद

उपरोक्त क्र.सं. 2 पर अंकित संकर बाजरा बीज किस्म इको—10 के नमुने का एक भाग कार्यालय के पत्रांक 1811 दिनांक 10.06.2022 द्वारा श्रीमान कृषि अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति), राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, अलवर को भिजवाया गया। रेफरी विश्लेषण हेतु नमुने के शेष दो भाग में से एक भाग बीज विक्रेता को सुपुर्द किया गया एवं एक भाग कार्यालय के पत्रांक 1812 दिनांक 10.06.2022 द्वारा श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि (ति.), भरतपुर खण्ड, भरतपुर की अभिरक्षा में भेजा गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

उक्त बीजों के बेचान हेतु उत्पादनकर्ता/बिक्रेता द्वारा जारी ओ फार्म (पी.सी.) अनुज्ञापत्र में दर्ज नहीं होने के कारण उक्त बीजों के उपलब्ध स्टॉक की बिक्री पर रोक लगाई गई। श्रीमान कृषि अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति), राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, अलवर की रिपोर्ट क्रमांक 312–14 दिनांक 28.06.2022 (संलग्न) के अनुसार संकर बाजरा बीज किस्म इको–10 का नमुना अमानक पाया गया। दिनांक 01.07.2022 को मैसर्स न्यू पवन बीज भण्डार, मालाखेड़ा का पुनः निरीक्षण कर उक्त अमानक संकर बाजरा बीज किस्म इको–10 के बिक्री पर रोक लगाए गए स्टॉक उपलब्ध मात्रा 59.520 किलोग्राम को जब्त (सीज) किया गया एवं जब्त स्टॉक को पीतल की मुद्रा से सील कर फर्म मैसर्स न्यू पवन बीज भण्डार, मालाखेड़ा के प्रोपराइटर श्री ओमप्रकाश सैनी को सुपुर्द किया गया।

बीज की जब्ती एवं सुपुर्दगी कार्यवाही की मौका पर्चा, जब्ती एवं सुपुर्दगी रिपोर्ट तैयार की गई एवं मौके पर मौजूद फर्म के प्रोपराइटर श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री गेंदालाल सैनी, निवासी नवीन बस स्टैण्ड, राजगढ़, जिला अलवर, श्री गोकरण मीणा, कृषि अधिकारी (फसल), कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), राजगढ़ जिला अलवर एवं श्री इन्दरलाल मीणा पुत्र श्री लटूर मीणा निवासी कुण्डरोली तहसील राजगढ़ जिला अलवर के रिपोर्ट पर हस्ताक्षर लिए गए।

उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (ए) के तहत जब्त बीज की जब्ती सूचनार्थ, सुपुर्दगी एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थी द्वारा अमानक संकर बाजरा बीज का कारोबार करने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 का उल्लंघन किया गया है। जो दंडनीय अपराध है। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (A) के तहत जब्त उर्वरक को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी ने न्यायालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि सहायक निदेशक कृषि विस्तार के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष गलत प्रकार से गोशवारा पेश किया है। अमिन प्रार्थीगण ने कोई अपराध किसी प्रकार का नही किया है। मौके पर जो बीज संकर बाजरा के जब्त किये गये है उन बीजो में कोई भी अमानक यानि कि सब स्टैण्डर्ड नहीं है तथा जो रिपोर्ट दी है वह गलत दी है तथा इको–10 बाजरा के बीज जो जब्त किये गये है तथा उनको गलत प्रकार से सब स्टेण्डर्ड बताया गया है। जिसके बारे में निवेदन है कि प्रार्थी ने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां उक्त बीजो की जांच के लिए माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां कार्यवाही की है है तथा वहां से, उक्त सैम्पल सेन्ट्रल लेबेरोट्री में जांच के लिए भेजे गये है तथा अभी रिपोर्ट नही आयी है तथा कार्यवाही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष जो गोशवारा पेश किया गया है वह गलत पेश किया गया है तथा कार्यवाही ड्रोप किये जाने योग्य है। आरोप लगाया गया है कि उत्पादनकर्ता/विक्रेता द्वारा जारी ओ फार्म (पीसी) अनुज्ञापत्र में दर्ज नहीं होने के कारण उक्त बीजो के उपलब्ध स्टॉक की बिक्री पर रोक लगायी गई है। इस प्रकार अन्य कोई आरोप प्रार्थी के विरूद्ध नहीं है। इसलिए इनका विक्रय नहीं किया जा रहा है। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त कार्यवाही ड्रोप फरमायी जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रार्थी के अनुसार मौके पर वक्त निरीक्षण फर्म के प्रोपराइटर श्री ओमप्रकाश सैनी पुत्र श्री गेंदालाल सैनी उपस्थित मिले। पत्रावली में संलग्न कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि.) राजगढ़ का पत्रांक 1811/10.06.22 द्वारा संकर बाजरा बीज किस्म इको–10 के नमुने का एक भाग कृषि अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति), राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, अलवर को भिजवाया गया, जिसकी रिपोर्ट बीज परीक्षण प्रयोगशाला अलवर द्वारा दिनांक 28.06.2022 को जारी की गई जिसमें ECO-10 HYBRID BAJRA बीज के अंकुरण मानक का प्रतिशत 68% प्राप्त हुआ जो कि सामान्य अंकुरण प्रतिशतता 75% से कम होने के कारण उक्त बीज अमानक श्रेणी के अंतर्गत आता है। पत्रावली में संलग्न केन्द्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, वाराणासी की उक्त बीज की विश्लेषण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार ECO-10 HYBRID BAJRA बीज के अंकुरण मानक का प्रतिशत 56% प्राप्त हुआ जो कि सामान्य अंकुरण प्रतिशतता 75% से कम होने के कारण उक्त बीज अमानक पाया गया। कृषि अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति), राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, अलवर की रिपोर्ट क्रमांक 312–14 दिनांक 28.06.2022 के

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

अनुसार संकर बाजरा बीज किस्म इको–10 का नमूना अमानक पाया गया। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा अमानक श्रेणी के शंकर बीजों का व्यापार किया गया है। उक्त कृत्य बीज नियंत्रण आदेश 1983, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जब्तशुदा ECO-10 HYBRID BAJRA मात्रा 59.520 कि.ग्रा. बीज को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति बीज/कीटनाशी/उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) राजगढ, जिला अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा जब्तशुदा ECO-10 HYBRID BAJRA मात्रा 59.520 कि. ग्रा. बीज, सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान सरकार

(योगेश कुमार डागुर)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम),
अलवर (राजस्थान)